



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276249
CG-DL-E-16092026-276249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/ भाद्र 19, 1948

No. 735]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/ BHADRA 19, 1948

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
(प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 803(अ).—केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 (1995 का 44) की धारा 22 की उपधारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) विनियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (साम्या पूंजी) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ. - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; -

(क) “अधिनियम” से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है;

- (ग) किसी कंपनी के संबंध में, “निदेशक मंडल” से कंपनी अधिनियम, 2013 की (2013 का अधिनियम संख्या 18) धारा 2 की उपधारा (10) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अभिप्रेत है;
- (घ) “सह-विनिधान” से किसी कंपनी में अन्य सह-विनिधानकर्ता/विनिधानकर्ताओं के साथ किया गया विनिधान अभिप्रेत है;
- (ङ) “सह-विनिधानकर्ता” से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है, जिसने किसी कंपनी में अन्य विनिधानकर्ता के साथ विनिधान किया है;
- (च) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;
- (छ) “निदेशक” में कोई भी वह व्यक्ति सम्मिलित है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (34) के अनुसार किसी कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य है;
- (ज) “विनिधान” से किसी कंपनी में विभिन्न माध्यमों से पूंजी का वह अंशदान अभिप्रेत है जो शेयरों के बदले किया जाता है;
- (झ) “विनिधानकर्ता” से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जिसने किसी कंपनी में शेयरों के बदले विनिधान किया है;
- (ञ) “सूचीबद्ध शेयरों” से कंपनियों के वह शेयरों अभिप्रेत हैं जिन्हें सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार के लिए औपचारिक रूप से प्रविष्ट किया गया है।
- (ट) “संदत पूंजी” या “समादत्त पूंजी” से वह धनराशि की रकम अभिप्रेत है जो किसी कंपनी को शेयर जारी करने के बदले में उसके शेयरधारकों से प्राप्त होती है;
- (ठ) “शेयर” से किसी कंपनी में स्वामित्व की इकाई अभिप्रेत है, और इसमें स्टॉक शामिल है सिवाय उन मामलों के जहां स्टॉक और शेयरों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया हो;
- (ड) “गैर-सूचीबद्ध शेयरों” से उन कंपनियों के शेयर अभिप्रेत हैं जो सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार नहीं करते हैं; और
- (ढ) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु जो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया है।

3. साम्या भागीदारी. - (1) बोर्ड द्वारा निर्धारित वित्त पोषण अपेक्षाओं के अनुसार कंपनियों को साम्या पूंजी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता विनिधान है, और ऐसा साम्या विनिधान या सह-विनिधान कंपनी के शेयर मूल्य या उसके मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:

- क. बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष विनिधान की दशा में, कंपनी का प्रति शेयर मूल्य या मूल्यांकन जैसा कि बोर्ड और ऐसी कंपनी के बीच पारस्परिक रूप से अवधारित किया जाए।
- ख. बोर्ड द्वारा सह-विनिधान की दशा में, कंपनी प्रति शेयर मूल्य या मूल्यांकन, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, या सह-विनिधानकर्ता द्वारा अवधारित किया जाए और जो बोर्ड को स्वीकार्य हो।

(2) बोर्ड, कंपनी के कुल साम्या शेयरों के पच्चीस प्रतिशत तक कंपनी के साम्या शेयरों में विनिधान कर सकता है।

(3) बोर्ड, कंपनी के आवेदन की जांच करने और आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी पूछताछ करने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा या तो यथा प्रस्तावित या कतिपय संशोधनों के साथ साम्या भागीदारी को अनुमोदित कर सकता है, या उसे अनुमोदित करने से इन्कार कर सकता है।

4. ऋण का साम्या संपरिवर्तन - (1) बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, कंपनी को स्वीकृत ऋण के पच्चीस प्रतिशत तक को साम्या में संपरिवर्तित कर सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: अर्थात्:

(क) संपरिवर्तन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा:

- i. किसी भी पश्चातवर्ती उच्चतर मूल्यांकन के अर्हित निधि-संग्रहण दौर के पश्चात् ; अथवा
- ii. प्रत्यक्ष रूप से बोर्ड और ऐसे कंपनी के बीच पारस्परिक रूप से यथा अवधारित कंपनी के प्रति शेयर मूल्य या मूल्यांकन के आधार पर।

(ख) स्वीकृत ऋण का ऐसा साम्या संपरिवर्तन पहले संवितरण की तारीख से पांच प्रतिशत वार्षिक के बड़े हुए रियायती मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो बीस प्रतिशत की अधिकतम रियायत तक होगा:

परंतु कि ऋण का साम्या में संपरिवर्तन कंपनी की कुल साम्या शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

5. अभिदान- पूर्व शर्तें - (1) प्रवर्तकों द्वारा कंपनी की शेयर पूंजी के उनके हिस्से को अभिदत्त कर पूर्णरूप से उसे समादत्त किया जाना चाहिए।

(2) कंपनी के प्रवर्तक, निदेशक और शेयरधारक जो प्रवर्तकों के समान हैं, यह वचन देंगे कि वे अतिरिक्त शेयर पूंजी या असुरक्षित ऋण और/या जमा के रूप में निधि लाएँगे, जब कभी भी अपेक्षित हो ताकि परियोजना और कार्यशील पूंजी के लिए बोर्ड को स्वीकार्य निबंधनों व शर्तों पर की किसी भी लागत वृद्धि या परियोजना के वित्तपोषण में अद्भूत किसी भी कमी को पूरा किया जा सके।

(3) उपर उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट प्रवर्तक, निदेशक और शेयरधारक यह वचन देंगे कि जब तक बोर्ड कंपनियों में शेयर धारक है, तब तक वे बोर्ड के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना उनके द्वारा लाए गए किसी भी असुरक्षित ऋण और जमा रकम की कंपनियों से निकासी नहीं करेंगे।

(4) परियोजना की लागत में किसी भी वृद्धि या वित्तीय साधनों में कमी होने की स्थिति में, या कंपनियों की कोई नकद हानि उपगत होने की दशा में, बोर्ड ऐसी किसी भी वृद्धि, कमी या नकद हानि के वित्तपोषण के लिए दायी नहीं होगा; और न ही बोर्ड इस प्रयोजनार्थ किसी अतिरिक्त पूंजी का अभिदाय करेगा। यदि परियोजना के लिए वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थाएँ यह शर्त रखते हैं कि कंपनियों के प्रवर्तकों द्वारा कोई प्रत्याभूति या वचनबंध प्रस्तुत किया जाए, तो बोर्ड ऐसी किसी भी प्रत्याभूति, जिसमें 'कोई व्यतिक्रम प्रत्याभूति नहीं' या वचनबंध शामिल है, प्रदान करने के लिए दायी नहीं होगा।

(5) कंपनियाँ उसकी पूंजी में प्रवर्तकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए या किए जाने वाले शेयरों के किसी भी अंतरण को मान्यता नहीं देंगी या उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं करेंगी। कंपनियाँ इन शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों से उपयुक्त वचनबंध अभिप्राप्त करेंगी और बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी।

6. शेयर प्रमाणपत्र जारी करना.- कंपनियाँ के विनियम 3 और 4 में उल्लिखित प्रति शेयर सहमत कीमत पर बोर्ड के डीमैट खाते में अभौतिक रूप में शेयर जारी करेंगी और ऐसे निर्गम पर कोई दलाली (ब्रोकरेज) नहीं ली जाएगी।

7. अभिदान रकम का उपयोग.- कंपनियाँ बोर्ड की इस अभिदान रकम को विशेष रूप से परियोजना के लिए निर्धारित करेंगी और यह वचन देंगी कि अभिदान रकम से अर्जित जमानत राशि, कार्यशील पूंजी, पूंजीगत माल और सेवाएं अनन्य रूप से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयोग की जाएंगी।

8. नामनिर्देशिती निदेशक.- (1) बोर्ड को समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा; ऐसे निदेशक को इसमें इसके पश्चात 'नामनिर्देशिती निदेशक' कहा गया है।

(2) 'नामनिर्देशित निदेशक को अर्हता शेयर रखना अपेक्षित नहीं होगा और उन्हें चक्रानुक्रम सेवानिवृत्ति का दायी नहीं होगा।

(3) नामनिर्देशित निदेशक अन्य निदेशकों के समान ही सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा, जिसमें अन्य निदेशक को संदेय बैठक फीस और व्यय शामिल हैं, किंतु यदि निदेशक को किसी अन्य फीस, कमीशन, धन या किसी भी रूप में पारिश्रमिक संदेय है, तो ऐसे नामनिर्देशित निदेशक के संबंध में वह फीस, कमीशन, धन या पारिश्रमिक बोर्ड को प्रोद्भूत होगा और तदनुसार कंपनी द्वारा सीधे बोर्ड को संदाय किया जाएगा। बोर्ड या नामनिर्देशित निदेशक द्वारा उसकी नियुक्ति या निदेशक पद के संबंध में उपगत कोई भी व्यय कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) यदि किसी भी समय, नामनिर्देशित निदेशक निदेशक मंडल की बैठक या उसकी किसी समिति, जिसका वह सदस्य है, की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होता है, तो बोर्ड उस बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रेक्षक की प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस संबंध में प्रेक्षक द्वारा किए गए व्यय का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।

9. अपविनिधान. - (1) यदि शेयर सूचीबद्ध हैं, तो बोर्ड अपने शेयरों का निपटान बाजार मूल्यों पर करेगा।

(2) यदि शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं या गैर-सूचीबद्ध रहते हैं, तो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, ऋण को साम्या में बदलने या साम्या भागीदारी के माध्यम से अर्जित किसी भी साम्या को, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी पश्चातवर्ती अर्हित निधि-संग्रहण दौर में उसी मूल्य पर बेच सकता है, अंतरण कर सकता है, सौंप सकता है या अन्यथा उसका निपटान कर सकता है, जिस पर नए या विद्यमान विनिधानकर्ता कंपनियों में साम्या खरीदते हैं, या कंपनियों के प्रवर्तकों को साम्या वापस खरीदने का अधिकार प्रदान कर सकता है।

(3) बोर्ड, कंपनी के शेयरों को मामले दर मामले के आधार पर उस मूल्य पर निपटाएगा जिसे वह उचित समझे, जिसमें बाजार मूल्य या अभिदाय मूल्य से कम मूल्य भी शामिल है, परंतु कि इस तरह के मूल्यांकन पर शेयरों के निपटान के कारणों को सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

10. संविदात्मक औपचारिकता. - बोर्ड द्वारा साम्या भागीदारी के प्रत्येक मामले में, सम्बद्ध कंपनी बोर्ड के साथ एक औपचारिक शेयर अभिदाय करार या शेयरधारक करार करेगी, जिसमें बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित निबंधनों और शर्तों का उल्लेख होगा।

[फा. सं. टीडीबी/14011/3/2026-परियोजना]

राजेश कुमार पाठक, सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)****(TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2026

G.S.R. 803(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 22 of the Technology Development Board Act, 1995, (44 of 1995) and in the supersession of the Technology Development Board (Equity Capital) Regulations, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Technology Development Board with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These regulations shall be called the Technology Development Board (Equity Capital) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995);
- (b) “Board” means the Technology Development Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (c) “Board of directors”, in relation to a company, means the Board of director of the Company as per sub-section (10) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)
- (d) Co-investment” means the investment in a Company alongside another co-investor;
- (e) “Co-investor” means an individual or entity that made an investment in a Company alongside another investor;
- (f) “Company” means a company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- (g) “Director” includes any person who is a member of the Board of Directors of a Company, as per sub-section (34) of section 2 of Companies Act, 2013;
- (h) “Investment” means the contribution of capital through various modes in a Company in exchange for shares;
- (i) “Investor” means an individual or entity who made an investment in a Company in exchange of shares;
- (j) “Listed Shares” means shares of the companies that have been formally admitted for trading on public stock exchange;
- (k) “Paid-up Capital” or “Capital paid-up” means amount of money a Company receives from shareholders in exchange for issuing shares;
- (l) “Share” means unit of ownership in a Company, and includes stock except where a distinction between stock and shares is expressed;
- (m) “Unlisted Shares” means shares of the companies not traded on public stock exchange; and
- (n) words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995) shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.

3. Equity Participation. - (1) The Board may provide financial assistance by way of equity capital to the Companies according to the funding requirements assessed by the Board and such equity investment or co-investment shall be carried out based on the share price or valuation of the Company determined as under :-

(a) in case of direct investment by the Board, price per share or valuation of the Company as mutually determined between the Board and such Company.

(b) in case of co-investment by the Board, price per share or valuation of the Company determined by the Board or determined by co-investor and acceptable to the Board.

(2) The Board may invest in equity shares of the Company up to twenty-five per cent of total equity shares of the Company.

(3) The Board may, after examining the application of the Company and after making such enquiries as it deems necessary by order in writing, either approve the equity participation as proposed or with certain amendment or refuse to approve the same.

4. Debt to Equity Conversion. - (1) The Board may, at its sole discretion, convert up to twenty-five per cent of the sanctioned debt to the Company into equity, subject to the following conditions, namely: -

(a) The conversion shall be exercised:

- (i) after any subsequent qualified fund-raising round of higher valuation; or,
- (ii) directly on the basis of price per share or valuation of the Company as mutually determined between the Board and such Company.

(b) Such equity conversion of the sanctioned debt shall be on increasing discounted valuation of five per cent per annum from the date of first disbursement, which shall be capped at maximum twenty per cent discount:

Provided that the debt-to-equity conversion shall be subject to a maximum limit of twenty-five per cent of the company's total equity share capital.

5. Pre-subscription conditions.- (1) The promoters should have subscribed and fully paid up their portion of the share capital in the Company.

(2) The promoters, directors and shareholders of the company who are akin to promoters, shall undertake to bring in funds in the form of additional share capital or unsecured loans and/or deposits, if and when required, to cover any cost overrun of the project or any shortfall that may arise in financing the project and for working capital on terms and conditions acceptable to the Board.

(3) The promoters, directors and shareholders referred to in sub-regulation (2) above shall undertake not to withdraw from the companies any unsecured loans(s) and deposits brought by them without prior written approval of the Board as long as the Board holds shares in the companies.

(4) In the event of any overrun in the cost of the project or shortfall in the means of finance or in case the companies incur any cash losses, the Board shall not be liable to finance any such overruns, shortfalls, cash losses; nor shall the Board subscribe to any additional capital for this purpose. If the financial institutions providing financial or other assistance for the project, stipulate that any guarantees or undertakings be furnished by the promoters of the Companies, the Board shall not be liable to provide any such guarantee including 'no default guarantee' or undertaking.

(5) The Companies shall not recognise or register any transfer of shares in its capital made or to be made by the promoters and such other persons. The Companies shall obtain and furnish to the Board suitable undertakings from such persons for giving effort to the stipulations.

6. Issue of share certificates.- The Companies shall issue shares in dematerialised form to the demat account of the Board at the agreed price per share as mentioned in regulations 3 and 4 and no brokerage shall be charged on such issue.

7. Utilisation of subscription amount.- The Companies shall earmark this subscription amount of the Board solely for the project and covenants that the margin money, working capital, capital goods and services acquired from the subscription amount shall be used exclusively for implementing the project.

8. Nominee director.- (1) The Board shall have the right to nominate, from time to time, a person to be a director on the Board of Directors of the Companies (hereinafter referred to as 'nominee director').

(2) The nominee director shall not be required to hold qualification shares and shall not be liable to retire by rotation.

(3) The nominee director shall be entitled to all the rights and privileges of other director including the sitting fees and expenses payable to other Director, but if any other fees, commission, monies or remuneration in any form is payable to the director, the fees, commission, monies or remuneration in relation to such nominee director shall accrue to the Board and the same shall accordingly be paid by the Company directly to the Board. Any expenditure incurred by the Board or the nominee director in connection with his appointment or directorship be borne by the Company.

(4) If, at any time, the nominee director is not able to attend a meeting of the Board of Directors or any of its committees of which he is a member, the Board may depute an observer to attend the meeting. The expenses incurred by the observer in this connection shall be borne by the Company.

9. Disinvestments.- (1) The Board shall dispose of its shares at the market values, if the shares are listed.

(2) If the shares are not listed or remain unlisted, the Board may, at its sole discretion, sell, transfer, assign, or otherwise dispose of any equity, in whole or in part, acquired through the conversion of debt to equity or equity participation, in any subsequent qualified fund-raising round on same valuation that incoming or existing investors buy equity in the companies to incoming or existing investor or accord the right to the Promoters of the companies to buy-back equity.

(3) The Board shall dispose of the Company's shares on a case-to-case basis at such price as it may deem fit, including at a value lower than the market value or subscription value, provided that reason for disposal of shares on such valuation shall be duly recorded.

10. Contractual formality.- In every case of equity participation by the Board, the company concerned shall enter into a formal share subscription agreement or shareholder's agreement with the Board stipulating the terms and conditions duly approved by the Board.

[F. No. TDB-14011/3/2026-PROJECT]

RAJESH KUMAR PATHAK, Secy.